रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257283
CG-DL-E-20092024-257283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3745] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946
No. 3745] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली,17 सितम्बर, 2024

का.आ. 4099(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एत्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-**(1) इस आदेश को क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग–**तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों में इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा-

(क) निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर;

(ख) किसी तैयार माल या उप-संयोजन या घटक के भाग के रूप में आयातित वस्तुओं या सामान पर;

(ग) निर्यात हेतु उत्पादों के विनिर्माण हेतु घरेलू विनिर्माता द्वारा आयातित वस्तुओं या सामान पर;

बशर्ते यह कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि पर निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात "उद्यम पोर्टल" के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित उन वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, जहां मूल लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्त वर्ष के लिए टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तथा उन्हें संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन से छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि इस आदेश की कोई भी बात क्रॉस्ड रिसेस्ड स्क्रू के विनिर्माताओं (जिन्हें आगे ओईएम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी और ऐसे आयातित माल या वस्तुओं को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें इस शर्त के साथ स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा कि ओईएम ऐसे माल या वस्तुओं का वित्त वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और यदि सरकारी प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाए तो अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने लेटर हेड पर उसे प्रस्तुत करेंगे।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण**–भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी**–इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू	18471(भाग1) : 2023/ आईएसओ 15481:1999	फास्टनर- टैपिंग स्क्रू थ्रेड भाग 1 पैन हेड के साथ क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू	क्यूसीओ के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद	क्यूसीओ के प्रकाशन की तारीख से नौ महीने बाद	क्यूसीओ के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने बाद
2		18471(भाग 2) : 2023/ आईएसओ 15482:1999	फास्टनर- टैपिंग स्क्रू थ्रेड भाग 2 काउंटरसन्क हेड के साथ क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू			
3		18471(भाग 3) : 2023/ आईएसओ 15483:1999	फास्टनर- टैपिंग स्क्रू थ्रेड भाग 3 रेज्ड काउंटरसन्क हेड के साथ क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू			
4		18476: 2023/ आईएसओ 15480:2019	फास्टनर- टैपिंग स्क्रू थ्रेड के साथ हेक्सागन वाशर हेड ड्रिलिंग स्क्रू			

5		18480(भाग1) : 2023/ आईएसओ 7049:2011	क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू: भाग 1 पैन हेड			
6		18480(भाग 2) : 2023/ आईएसओ 7050:2011	क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू: भाग 2 काउंटरसंक फ्लैट हेड			
7		18480(भाग3) : 2023/ आईएसओ 7051:2011	क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू: भाग 3 रेज्ड काउंटरसंक ओवल हेड			
8		7483 : 2018/ आईएसओ 7045:2011	टाइप एच अथवा टाइप जेड क्रॉस रिसेस के साथ पैन हेड स्क्रू - प्रोडक्ट ग्रेड ए			
9		7485(भाग1) : 2018/ आईएसओ 7046-1:2011	टाइप एच अथवा टाइप जेड क्रॉस रिसेस – प्रोडक्ट ग्रेड ए भाग 1 क्लास 4.8 प्रॉपर्टी के स्टील स्क्रू के साथ काउंटरसंक फ्लैट हेड स्क्रू(कॉमन हेड स्टाइल)			
10		7485(भाग2) : 2018/ आईएसओ 7046-2 :2011	टाइप एच अथवा टाइप जेड क्रॉस रिसेस – प्रोडक्ट ग्रेड ए भाग 2 क्लास 8.8 प्रोपर्टी के स्टील स्क्रू के साथ काउंटरसंक फ्लैट हेड स्क्रू(कॉमन हेड स्टाइल), स्टेनलेस स्टील स्क्रू तथा नॉन-फेरस मेटल स्क्रू			
11		7486 : 2018/ आईएसओ 7047 : 2011	टाइप एच अथवा टाइप जेड क्रॉस रिसेस – प्रोडक्ट ग्रेड ए के साथ रेज्ड काउंटरसंक हेड स्क्रू(कॉमन हेड स्टाइल)			
12		18507 : 2024	ड्राई वॉल स्क्रू – स्पेसिफिकेशन			
13		18508 : 2024	चिपबोर्ड स्क्रू – स्पेसिफिकेशन			
14		18509 : 2023	क्रॉस-रिसेस काउंटरसंक हेड वुड स्क्रू – स्पेसिफिकेशन			

नोट–इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/42/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th September, 2024

S.O. 4099(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely :-

1. **Short title and commencement.-**(1) This Order may be called the Cross Recessed Screws (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-**Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

Provided that nothing in this Order shall apply to,-

(a) goods or articles manufactured domestically for export;

(b) goods or articles imported as a part of any finished good or sub-assembly or component;

(c) goods or articles imported by domestic manufacturer for manufacturing products for export;

Provided further that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified on the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant shall be exempted from implementation of the relevant Quality Control Order.

Provided that nothing in this Order shall apply to the goods or articles imported up to two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of crossed recessed screws (hereafter referred as OEMs) per year and such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap with the condition that the OEMs shall maintain financial year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by Government authorities in its letter head duly signed by its authorized signatory.

3. **Certification and enforcement authority.-**The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for Contravention-Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	**Goods or Articles**	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**	**Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)**	**Date of implementation for Small Enterprises**	**Date of implementation for Micro Enterprises**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Cross Recessed Screws	18471 (Part 1) : 2023/ ISO 15481:1999	Fasteners - Cross Recessed Drilling Screws with Tapping Screw Thread Part 1 Pan Head	Six months from the date of publication of the QCO	Nine months from the date of publication of the QCO	Twelve months from the date of publication of the QCO

2		18471 (Part 2) :2023/ ISO 15482:1999	Fasteners - Cross Recessed Drilling Screws with Tapping Screw Thread Part 2 Countersunk Head			
3		18471 (Part 3) :2023/ ISO 15483:1999	Fasteners - Cross Recessed Drilling Screws with Tapping Screw Thread Part 3 Raised Countersunk Head			
4		18476 : 2023/ ISO 15480:2019	Fasteners - Hexagon Washer Head Drilling Screws with Tapping Screw Thread			
5		18480 (Part 1) :2023/ ISO 7049 : 2011	Cross Recessed Tapping Screws: Part 1 Pan Head			
6		18480 (Part 2) :2023/ ISO 7050 : 2011	Cross Recessed Tapping Screws Part 2 Countersunk Flat Head			
7		18480 (Part 3) :2023/ ISO 7051 : 2011	Cross Recessed Tapping Screw Part 3 Raised Countersunk Oval Head			
8		7483 : 2018/ ISO 7045 : 2011	Pan Head Screws With Type H or Type Z Cross Recess – Product Grade A			
9		7485 (Part 1) : 2018/ ISO 7046-1 : 2011	Countersunk Flat Head Screws (Common head Style) With Type H or Type Z Cross Recess - Product Grade A Part 1 Steel Screws of Property Class 4.8			
10		7485 (Part 2) : 2018/	Countersunk flat head screws			

		ISO 7046-2 : 2011	(common head style) with type H or Type Z Cross Recess - Product Grade A part 2 Steel Screws of Property Class 8.8, Stainless Steel Screws and Non - Ferrous Metal Screws			
11		7486 : 2018/ ISO 7047 : 2011	Raised countersunk head screws (Common Head Style) with type H or type Z cross recess - Product grade A			
12		18507 : 2024	Drywall Screws – Specification			
13		18508 : 2024	Chipboard Screws – Specification			
14		18509 : 2023	Cross-recessed Countersunk Head Wood Screws – Specification			

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/42/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.